न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–82 / 2016–17

कैलाश महतो वगैरह बनाम राजा महतो वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश

20/9/2021

प्रस्तुत दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद आवेदकों के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–21 / 2016–17 में दिनांक 23.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 के धारा 8 और विलम्ब अधिनियम की धारा–5 के सहित दाखिल किया गया है।

वाद को पंजीकृत कर वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुना। सुनने के पश्चात वाद ग्रहण किया गया। विपक्षियों को सूचना निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग किया गया। निर्गत नोटिस के पश्चात विपक्षी उपस्थित हुये। विपक्षियों की ओर से अपना जबाब दाखिल किया गया। दिनांक 29.05.18 को केदार महतो, कृष्णा महतो, उमेश महतो, सुरेश महतो और लाला महतो की ओर से वकालतनामा सहित आवेदन दाखिल कर इस वाद में हस्तक्षेपक बनाने का निवेदन किया गया। पक्षकारों को सुनने के बाद आवेदकगण को हस्तक्षेपक दिनांक 01.12.2020 को बनाया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल अभिलेख के साथ संलग्न है।

आवेदक कैलाश महतो के मृत्यु के पश्चात उनके वारिसानों को आवेदक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। वाद संचालन के दौरान विपक्षी संख्या–3 टुनटुन महतो की मृत्यु हो गई। मृतक टुनटुन महतो के स्थान पर उनके वारिसानों को सुनवाई के पश्चात प्रतिस्थापित किया गया। वाद को अंतिम रूप से पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। पक्षकारों ने अपना–अपना दावे की पुष्टि में कागजात दाखिल किया।

प्रश्नगत भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	अभियुक्ति
पहाड़ी, थाना–अगमकुआँ नं0–14	502, 16	158,162,171,184,21, 22,25,332,413,426, 872,1288,1289	5 एकड़ 30 डी0	रैयति

प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत एतवारी महतो पिता–भोला महतो थें दखल–कब्जा में रहकर भूमि को जोत आवाद करते रहे। एतवारी महतो अपने पीछे एकमात्र पुत्र बुलकन महतो को छोडकर स्वर्गवास कर गये। बुलकन महतो अपने पिता की सारी सम्पति पर उत्तराधिकारी के रूप में दखल कब्जा में रहे और जमाबंदी संख्या 30 और 34 कायम करा लिया। जो छोटी पहाडी के निवासी थे। एक दूसरे बुलकन महतो पिता–फिरंगी महतो थे। जो शेख

विपक्षीगण के पूर्वज थे। विपक्षीगण के पिता जनक महतो और दादा बुलकन महतो परदादा फिरंगी महतों शेख महम्मदपुर, थाना–खुसरूपुर, जिला–पटना के निवासी है। जो आवेदक के पूर्वज बुलकन महतो पिता–एतवारी महतो के साढु थे। बुलकन महतो के पिता फिरंगी महतो थे। जो आवेदक के पूर्वज के खानदान से अलग थे और विपक्षी के पिता और दादा से कोई सरोकार नहीं है और नहीं वंशवृक्ष के है। आगे कहना है कि फिरंगी महतो के एक बेटा की हत्या होने के कारण अपने पुश्तैनी गॉव–शेख मुहम्मदपुर, थाना–खुशरूपुर, जिला–पटना को छोड़कर अपने साढु के यहाँ आकर रहने लगे। कुछ समय बाद उसके वारिसान छोटी पहाड़ी में ही बस गये। इसी बीच बुलकन महतो पिता–एतवारी महतो की खेती बाड़ी करने लगे। इसी बीच बुलकन महतो पिता–एतवारी महतो की मृत्यु हो गई तब साढु बुलकन महतो पिता–फिरंगी महतो अपने साढु बुलकन महतो के एक बेटा हीरा महतों को अपने देख–रेख में रखने लगे। इसी बीच बुलकन महतो के नाम कायम जमाबंदी के आधार पर लगान रसीद निर्गत होते रहा है। बुलकन महतो जो शेख मुहम्मदपुर के रहने वाले वारिसान (विपक्षी) घर बनाकर रहने लगे। बुलकन महतो पिता–एतवारी महतो वर्ष–1981 में तीन पुत्र क्रमशः कैलाश महतो, सुखदेव महतो, और गंगा महतो (आवेदक गण) को छोडकर स्वर्गवासी हुये। इस प्रकार आवेदकगण उत्तराधिकारी होकर अपने पिता और पूर्वजों की सभी सम्पतियों के मालिक होकर दखल–कब्जा मे चले आ रहे है। वर्ष–2016–17 में प्रश्नगत भूमि पर अपना नामांतरण वाद संख्या– $\frac{1370}{5}$ 2016–17 अंचल अधिकारी के न्यायालय में दाखिल–खारिज किया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण भूमि सुधार–उप समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या 21/2016–17 दाखिल किया। जिसमें आवेदकों को बिना सूचना और कागजात के जॉच/निरीक्षण किये ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी ने एक पक्षीय आदेश विपक्षियों के पक्ष में पारित कर दिया और अंचल अधिकारी को आदेश दिया कि कैलाश महतो और अन्य के नाम कायम दाखिल खारिज आदेश को रद्द करते हुए विपक्षी के नाम लगान रसीद विधिवत निर्गत करें। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी का आदेश एक पक्षीय और गैरकानूनी है। जो विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। जिसे रद्द करते हुए अंचल अधिकारी को आदेश को सम्पुष्ट किया जाये। आवेदक ने अपने दावे की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया है।

विपक्षी का मूल कथन है कि अंचल अधिकारी ने प्रश्नगत भूमि पर हल्का कर्मचारी के गलत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल–खारिज वाद संख्या– $\frac{1370}{5}$ 2016–17 में अवैध और गलत तरीके से बिना कोई सूचना निर्गत के आदेश पारित कर दिया, जो पूर्ण रूप से अवैध है। प्रश्नगत भूमि हमलोगों के दखल–कब्जा में है। आगे तथ्य यह है कि प्रश्नगत भूमि पर बुलकन महतो पिता–एतवारी महतो को छोडकर स्वर्गवास कर गये। रामचन्द्र महतो निःसंतान मर गये और जनक महतो प्रश्नगत भूमि के वारिस हुए और दखल कब्जा मे

महतो, टुनटुन महतो एवं बुधन महतो है। इसके बाद सभी पुत्रों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा के आधार पर जमाबंदी संख्या 156 और 157 कायम हुआ। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक ने सिर्फ वंशावली के शपथ पत्र के आधार जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद निर्गत करा लिया। जो अवैध है। जिसकी जानकारी होने पर दाखिल-खारिज अपील संख्या-21/16-17 दाखिल किया। अपील वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए विपक्षियों की जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया। अंचल अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण था, जिसे निरस्त कर दिया गया। आवेदकों को प्रश्नगत भूमि से कभी भी सरोकर और हित में नहीं रहा है। आवेदकों का वाद पोषणीय नहीं है, इसे खारिज किया जाय। वाद संचालन के दौरान हस्तक्षेपकगण का संक्षिप्त कहना है कि बाद में प्रश्नगत भूमि मौरूसी और पूर्वजों से प्राप्त भूमि है। प्रश्नगत भूमि पूर्वजों के नाम खतियान में दर्ज है। पीढी दर पीढी पूर्वजों के मरणोपरांत वर्तमान में हस्तक्षेपको के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। पूर्वजों के नाम से लगान रसीद निर्गत होते रहा है। आगे तथ्यपुरक मूल तथ्य है कि पूर्वज बुलकन महतो और पॉचु महतो दोनां के पिता-एतवारी महतो के नाम से प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में दर्ज है। हस्तक्षेपक ने अपने पूर्वजों के वंशावली दाखिल किया है। जो अभिलेख में लेखबद्ध है। बुलकन महतो के वारिसान आवेदकगण है और खतियानी रैयत पॉचु महतो के वारिसान हस्तक्षेपकगण है। जो पूर्वजों और खतियान से आधा-आधा के हिससेदार है। विपक्षी, आवेदक और हस्तक्षेपक के वंशवृक्ष से नहीं है। विपक्षी का पैतृक वो खानदानी ग्राम-शेख मुहम्मदपुर, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना के बसिन्दा है। खतियानी रैयत बुलकन महतो के साढु जो विपक्षी के पूर्वज थे का भी नाम बुलकन महतो है। विपक्षी के पूर्वज बुलकन महतो के पिता का नाम फिरंगी महतो था और खतियानी रैयत बुलकन महतो और पॉचु महतो के पिता के नाम एतवारी महतो था। जिसकी पुष्टि सर्वे खतियान से होती है। जिसरो स्पष्ट होता है कि विपक्षी का पूर्वज दूसरे गॉव और मौजा के खानदानी रैयत है। एक ही नाम होने का आधार बनाकर गलत और अवैध तरीके रो जमाबंदी कायम करा लिया। जबकि खतियानी रैयत बुलकन महतो और पॉचु महतो, पिता एतबारी महतो के वारिसान के नाम कायम जमाबंदिधारियों को कोई सूचना नहीं दिया गया, और अवैध रूप से जमाबंदी और लगान रसीद निर्गत करा लिया गया। जो कानूनी रूप से न्यायोचित नहीं है। आगे कहना है कि खतियानी सम्पति मे दोनों भाईयों के वारिसान मौखिक रूप से अपने-अपने हिस्से के मुताबिक दखल-कब्जा में कायम है। जिसका कुछ अंश भाग भूमि का जमाबंदी कायम है। इस तथ्य की सत्यता को आवेदकगण भी स्वीकार करते है। हस्तक्षेपक का कहना है कि बिना कोई सूचना और सहमति के आवेदकों ने प्रश्नगत भूमि के कुल रकवा पर वर्ष 2016-17 में अपने नाम से जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद निर्गत करा लिया। लेकिन भूमि पर दखल-कब्जा दोनों हिस्सेदारों यानी आवेदकों और हस्तक्षेपकों का है। जिसकी जानकारी वाद सचालन के दौरान हुई। तब हस्तक्षेपक के रूप में इस वाद में अपना पक्ष रखा। जो एक ही वंशवृक्ष और खतियानी रैयत के वारिसान होने का दावा दोनों पक्ष करते हैं। आवेदकों के द्वारा दिया गया वंशावली अधुरा

पत्र दाखिल कर गलत वंशावली के आधार पर पूरे प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम कराना विधि के विपरीत है और वह अवैध है। जिसे रद्द करते हुए प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों और हस्तक्षेपकों के नाम जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश कानूनी रूप से पारित करना न्यायोचित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी ने अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए जो आदेश विपक्षी के पक्ष में पारित किया है। वह बिल्कुल गलत और अवैध है। क्योंकि विपक्षियों को प्रश्नगत भूमि से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी का आदेश निरस्त करने योग्य है। जिसे निरस्त किया जाय। हस्तक्षेपकों ने अपने दावे की पुष्टि में सर्वे खतियान पूर्वजों के नाम लगान रसीद एवं अन्य दस्तावेज दाखिल किया है। पक्षकरों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक और हस्तक्षेपक एक ही वंशवृक्ष से आते है। सर्वे खतियान के अनुसार बुलकन महतो के वारिसान आवेदकगण और सर्वे खतियान से ही बुलकन महतो के सहोदर भाई पॉचु महतो के वारिसान हस्तक्षेपकगण है। सर्वे खतियान में बुलकन महतो वो पॉचु महतो पिता एतवारी महतो अंकित है। जो प्रमाणित करता है कि दोनों पक्ष आधे के हिस्सेदार है। आवेदक ने जिस स्वत्व वाद संख्या–142/2010 का अपने लिखित बहस में प्रमाण दिया है, उसमें वर्तमान वाद में प्रश्नगत भूमि सम्मिलित नहीं है जो आवेदकों के द्वारा दाखिल स्वत्व वाद के अर्जी से प्रमाणित होता है। वर्णित तथ्यों के आधार पर अंचल अधिकारी, पटना सदर और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कागजातों को अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो कानूनी दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है। जो विधि के अनुकूल न्यायोचित नहीं है। अंचल अधिकारी, पटना सदर के दाखिल-खारिज वाद संख्या $\frac{1370}{5}$ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के दाखिल–खारिज अपील संख्या– 21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 को निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी, पटना सदर को निर्देश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ती के बाद आवेदको और हस्तक्षेपकों को सूचना निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित विधि के अनुसार कार्रवाई करते हुए जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करें। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के दाखिल–खारिज अपील संख्या– 21/2016–17 आदेश की प्रति के साथ वापस करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पटना सदर को भेजें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश से विक्षुब्ध पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/9/2017

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
अपर समाहर्ता, पटना।

20/9/2017

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
अपर समाहर्ता, पटना।